

UPSI180029322025



न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), महमूदाबाद-सीतापुर।

दीवानी वाद सं०-388/ 2025

	नन्दा	बनाम	इसहाक।
वाद की प्रकृति		निरस्तीकरण बैनामा	
वाद का मूल्यांकन		1,20,000/- रुपये	
अधिवक्ता का नाम		श्री कृष्ण मुरारी गुप्ता	
वाद प्रस्तुत किये जाने की तिथि		18.11.2025	

यह वाद-पत्र वादी द्वारा वास्ते निरस्तीकरण बैनामा उसके विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण मुरारी गुप्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुन्सरिम आख्याननुसार वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, तदनुसार न्यायशुल्क अदा है। अतः वाद मूलवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते दाखिल लिखित उत्तर/ विरचन वादबिन्दु दिनांक-19.12.2025 को पेश हो।

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।

विजय मोर्य
(स्टेनो)